



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

National Water Development Agency

Ministry of Jal Shakti, Government of India

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



संख्या: 12/16/2020-प्रशा./ 1893

दिनांक: 27/10/2010

सेवा में

श्री छोटू शुक्ला,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पास,
भोपाल-462001,
(मध्य प्रदेश) ।

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में ।


महोदय,

आपके दिनांक 03.10.2020 के ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन जिसका रजिस्ट्रेशन सं० एनडब्ल्यूडीएवाई/आर/ई/20/00036 है, के संदर्भ में मांगी गई सूचना में यह कहना है कि रा.ज.वि.अ. के कार्यालय ज्ञापन 30.05.2018 के द्वारा चयन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें चयन समिति के सदस्यों ने नियमानुसार अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार श्री चेतन शर्मा पुत्र स्व. श्री रामकुमार शर्मा, एम.टी.एस. का मैरिट के आधार पर चयन किया गया है। श्री चेतन शर्मा, अवर श्रेणी लिपिक दिनांक 13.08.2018 से अन्वेषण प्रभाग-1, रा.ज.वि.अ., नासिक में तैनात है ।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो पत्र पाने के 30 दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अंतर्गत रा.ज.वि.अ. में प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं । अपीलीय अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

श्री आर.के. जैन,
मुख्य अभियंता (मुख्या.) एवं
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,
रा.ज.वि.अ., 18-20 सामुदायिक केन्द्र,
साकेत, नई दिल्ली-110017
(e-mail Id -cehqnwda@rediffmail.com)
फोन न०. 26852735.

भवदीय,



(चिरंजित सरकार)

निदेशक (प्रशा.) एवं सीपीआईओ

☎ 26535141

प्रतिलिपि:

1. उप निदेशक (प्रशा.), रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली ।
2. निदेशक (एम.डी.यू.), रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली इसे रा.ज.वि.अ. की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें ।